UPSB010002932026

न्यायालय Special Judge SC & ST Act, Sonbhadra

पीठासीन अधिकारी– (Abid Shamim), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06259

Bail Application/139/2026

जावेद बाबूलाल महबूब शेख पुत्र बाबूलाल महबूब शेख, निवासी नलदुर्ग, जनपद उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोजन पक्ष**

28.01.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **जावेद बाबूलाल महबूब शेख** की ओर से मु0अ0सं0–04 सन् 2026, धारा–8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है।

3. अभियोजन कथानक का सारांश इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.2026 को एस0ओ0जी0 प्रभारी उप निरीक्षक राजेश जी चौबे अपने अन्य हमराहियान एस0ओ0जी0 टीम के साथ क्षेत्र में मामूर थे कि रेनूकूट हाथीनाला मार्ग पर हथवानी मोड़ के पास उप निरीक्षक सुरेश राम यादव, उप निरीक्षक राज नरायण यादव अपने हमराहियान पुलिस बल के साथ मिले। सभी पुलिस वाले आपस में बात चीत कर रहे थे कि तभी जरिए मुखबिर खास उन्हें सूचना मिली कि एक गाड़ी टीजी 13टी 1226 जो कि उड़ीसा की तरफ से शीशा लादकर आ रही है, उसमें गांजा होने की सम्भावना है। मुखबिर की बातों पर विश्वास करके पुलिस बल हथवानी मार्ग पर खड़े होकर उक्त वाहन का इन्तजार करने लगे कि रेनूकूट की तरफ से एक डी0सी0एम0 संख्या–टीजी 13टी–1226 तेज गति से आती दिखाई दी जिसे रोक लिया गया। गाड़ी में बैठे चालक व खलासी से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी में शीशा लदा है तथा उसके संबंध में कागज दिखाया गया। गाड़ी में बैठे दोनों व्यक्तियों को नीचे उतार कर उनसे नाम पता पूछा गया तो चालक शीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम जावेद बाबूलाल महबूब शेख उपरोक्त बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम इस्माइल हजरत जमादार बताया। कड़ाई से पूछने पर दोनों बताया कि शीशे की बोरियों के बीच में गांजा लदा है। यह भी बताये कि गाड़ी मालिक अब्दुल कलीम ने हैदराबाद से वारदाना (जूट का बोरा) लदवाकर भूनेश्वर भेजा था। दिनांक 03.01.2026 को हम लोगों की गाड़ी खाली हो गयी। गाड़ी मालिक के कहने पर भूनेश्वर से 20 किमी0 आगे खुर्दा में मदीना होटल पर हम लोग रूक गये। मालिक कलीम के जानने वाले इकबाद

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2026.01.28 16:48:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

निवासी तुर्भे नवी मुम्बई जो गाड़ियों की लोडिंग कराता है, ने दिनांक 04.01.2026 को फोन कर कहा कि एक चालक आ रहा है उसे गाड़ी दे दो, मालिक अब्दुल कलीम के कहने पर गाड़ी इकबाल के भेजे हुए चालक को दे दिया उसका नाम पता वही जानता है। वह व्यक्ति दिनांक 06.01.2026 को गाड़ी लाकर मदीना होटल पर हम लोगों को दे दिया और बोला कि इसमें कांच के साथ और सामान भी लोड है। कांच की बिल्टी हमें दिया, हम लोग वहां से फिरोजाबाद के लिए निकले। इकबाल ने फोन कर कहा कि आराम आराम से जाओ तुम्हें पहले आगरा जाना होगा, आगरा पहुंचने पर तुम्हें बतायेंगे कि लोड गांजा किसके यहां देना है। उन दोनों के द्वारा यह भी बताया कि उन लोगों का काम गांजे को सही सलामत मुकाम तक पहुंचाना है। क्षेत्राधिकारी ओबरा की उपस्थित में वाहन की तलाशी ली गयी तो उसके अन्दर से 19 बोरा गांजा रखा हुआ पाया गया। सभी बोरों का वनज कराया गया तो कुल 442 किलो 500 ग्राम पाया गया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से रूपये और मोबाइल भी बरामद किये गये। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों का यह कार्य धारा–8/20/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत पाते हुए समय 17:15 बजे उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद गांजे को उन्हीं बोरियों में रखकर सील मोहर किया गया तथा फर्द मौके पर तैयार किया गया।

4. फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हाथीनाला, जनपद सोनभद्र में दिनांक 11.01.2026 को मु0अ0सं0–04 सन् 2026 पर अभियुक्तगण जावेद बाबूलाल महबूब शेख, इस्माइल हजरत जमादार, अब्दुल कलीम तथा इकबाल के विरूद्ध धारा–8/20/29/60 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी की गयी है। अभियुक्त दुद्धी में रह कर मजदूरी का कार्य करता है, अपने प्रदेश महाराष्ट्र जाने के लिए निकला तो रास्ते में बस चालक से किराये को लेकर विवाद हो गया और मौके पर पुलिस आ गयी। अभियुक्त को थाने पर ले जाकर दो दिन बैठाने के बाद इस मामले में उसका चालान कर दिया गया। अभियुक्त काफी दिनों से कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से सम्बन्धित थाने की आख्या के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर एस0ओ0जी0 टीम के द्वारा आवेदक/ अभियुक्त को एक अन्य सह अभियुक्त के साथ वाहन संख्या टीजी–13टी–1226 के साथ पकड़ा गया है तथा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अन्दर से 442 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। अतः प्रकरण में की गयी मादक पदार्थ की बरामदगी को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/

अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

7. मेरे द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक के तर्कों को धैर्यपूर्वक सुना गया तथा समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

8. फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर एस0ओ0जी0 टीम के द्वारा आवेदक/अभियुक्त को एक अन्य सह अभियुक्त के साथ वाहन संख्या टीजी–13टी–1226 के साथ पकड़ा गया है तथा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अन्दर से 442 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है जिसे वह लोग अन्य सह अभियुक्तगण के आपराधिक षड्यंत्र के तहत वाहन में रखकर परिवहन करते हुए पकड़े गये। फर्द बरामदगी में आवेदक/ अभियुक्त की भूमिका का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। प्रकरण में की गयी मादक पदार्थ की बरामदगी तथा आवेदक/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर विचार व्यक्त किए वगैर मेरे द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

–:आदेश:–

आवेदक/अभियुक्त **जावेद बाबूलाल महबूब शेख** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(आबिद शमीम)
विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0), एक्ट
सोनभद्र

दिनॉक–28.01.2026